रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D (D.N)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 310] नई दिल्ली, शनिवार, जून 30, 1984/आषाढ 9, 1906
No. 310] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 30, 1984/ASAD 19, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

(आयात व्यापार नियंत्रण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 1984

का. आ. 486 (अ) :—भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. एस. ओ. 529(ई) दिनांक 22 जुलाई, 1983 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 1 जुलाई, 1984 को वह दिन निर्धारित करती है जिस दिन से सिक्किम राज्य में आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 की 18) लागू होगा ।

[मिसिल सं. एल. एस./टैरिफ-87/78]

टी. एस. आर. सुब्रमणियन, संयुक्त सचिव

सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 252/83-सीमाशुल्क, तारीख 27 अगस्त, 1983 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के खंड 3 में :—

(1) "कलकत्ता" शब्द के स्थान पर "कलकत्ता-1, कलकत्ता-2" और अंक रखे जाएंगे;

(2) "पश्चिमी बंगाल" शब्दों के स्थान पर, "बोलपुर" शब्द जाएगा ।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 1984 को प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. 437/1/84-सी. शु. IV]
सुनील कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 1984

No. 191|84-CUSTOMS

S.O. 478(E).—In exercise of the powers conferred by section (1) of section 4 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 252|83-Customs, dated the 27th August, 1983, namely :—

In clause 3 of the said notification :—

(i) for the word "Calcutta", the words and figures "Calcutta-I, Calcutta-II", should be substituted ;

(ii) for the words "West Bengal", the word "Bolpur" shall be substituted.

2. This notification shall come into force on the 1st July, 1984.

[F. No. 437|1|84-Cus. IV]
SUNIL KUMAR, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984